अध्याय 2

हमारा संविधान

आपने इतिहास में पढ़ा है कि किस प्रकार अँग्रेजी शासन के विरोध में स्वराज की माँग को लेकर सभी भारतीय एकजुट हो गए और सभी ने साथ मिलकर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी जिसे हम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में भारत के अलग–अलग परिवेश के लोग शामिल थे। वे एक साथ जेल गए और उन्होंने अलग–अलग तरीकों से अँग्रेजों का विरोध किया।

स्वतंत्रता के लिए आंदोलन

इस आंदोलन का एक उदाहरण हमें जलियाँवाला बाग हत्याकांड में देखने को मिलता है। इस हत्याकांड में एक ब्रिटिश जनरल ने शांतिप्रिय, निहत्थे लोगों पर जो बाग में इकट्ठे होकर सभा कर रहे थे, गोलियाँ चलवा दीं। इसमें बहुत से लोगों की जानें गईं। महिला–पुरुष, हिंदू–मुसलमान, सिख एवं ईसाई कितने सारे लोग थे, जो अँग्रेजों की नीति का विरोध करने के लिए जमा हुए थे। इस आंदोलन के माध्यम से देश में, राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिला।

संविधान सभा का गठन :– आपने पढ़ा कि जब भारत में अँग्रेज थे तो विभिन्न धर्म, भाषा और क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने अँग्रेजों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी। वे चाहते थे कि भारत एक स्वतंत्र देश बने। आजादी की इस लड़ाई के साथ–साथ लोग एक और सवाल से जूझ रहे थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कैसे चलेगा।

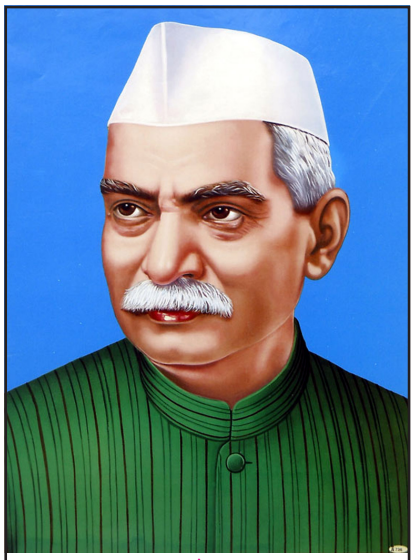

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
संविधान समिति के अध्यक्ष

क्या हमें राजाओं के शासन को अपना लेना चाहिए या जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन होना चाहिए ? इसी प्रकार एक और प्रश्न यह था कि ज्यादातर अधिकार किसके पास होने चाहिए– प्रधानमंत्री के पास या राष्ट्रपति के पास ? क्या महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए ? क्या सभी धर्म के लोगों को अपना–अपना धर्म मानने का अधिकार होना चाहिए ? सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर कैसे मिले ? हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में छुआछूत की समस्या व्याप्त है तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए ? इस प्रकार के कई सवाल राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उभर कर सामने आए।

इन सवालों पर बातचीत करके फैसला करने के लिए एक समूह का चुनाव किया गया इसे 'संविधान सभा' कहा गया। संविधान सभा में देश के सभी भागों से लगभग 299 सदस्य थे।

संविधान सभा का काम था–संविधान लिखना। संविधान नियमों का वह संकलन है जिसमें हमारे देश की व्यवस्था की रूपरेखा एवं हमारे सामाजिक आदर्श लिखित हैं। संविधान सभा में कई समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। यह चर्चा लगभग तीन साल तक चली, तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ। यह संविधान भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया।

1. स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ने 31 दिसम्बर 1929 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। इस पूर्ण स्वराज्य के संकल्प दिवस के महत्व को बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसलिए 26 जनवरी, 1950 को देश का संविधान लागू किया गया।

2. संविधान में कहा गया है कि संविधान लागू होने के प्रारंभ से दस वर्ष के भीतर चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा।

3. शिक्षा का मौलिक अधिकार होने के बाद वर्तमान में 6–14 वर्ष के बच्चे के शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है ? इस पर शिक्षक से चर्चा करें।

बताइए–

1. जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन क्यों होना चाहिए?
2. महिला एवं पुरुष को समान अधिकार क्यों मिलना चाहिए?
3. 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं?

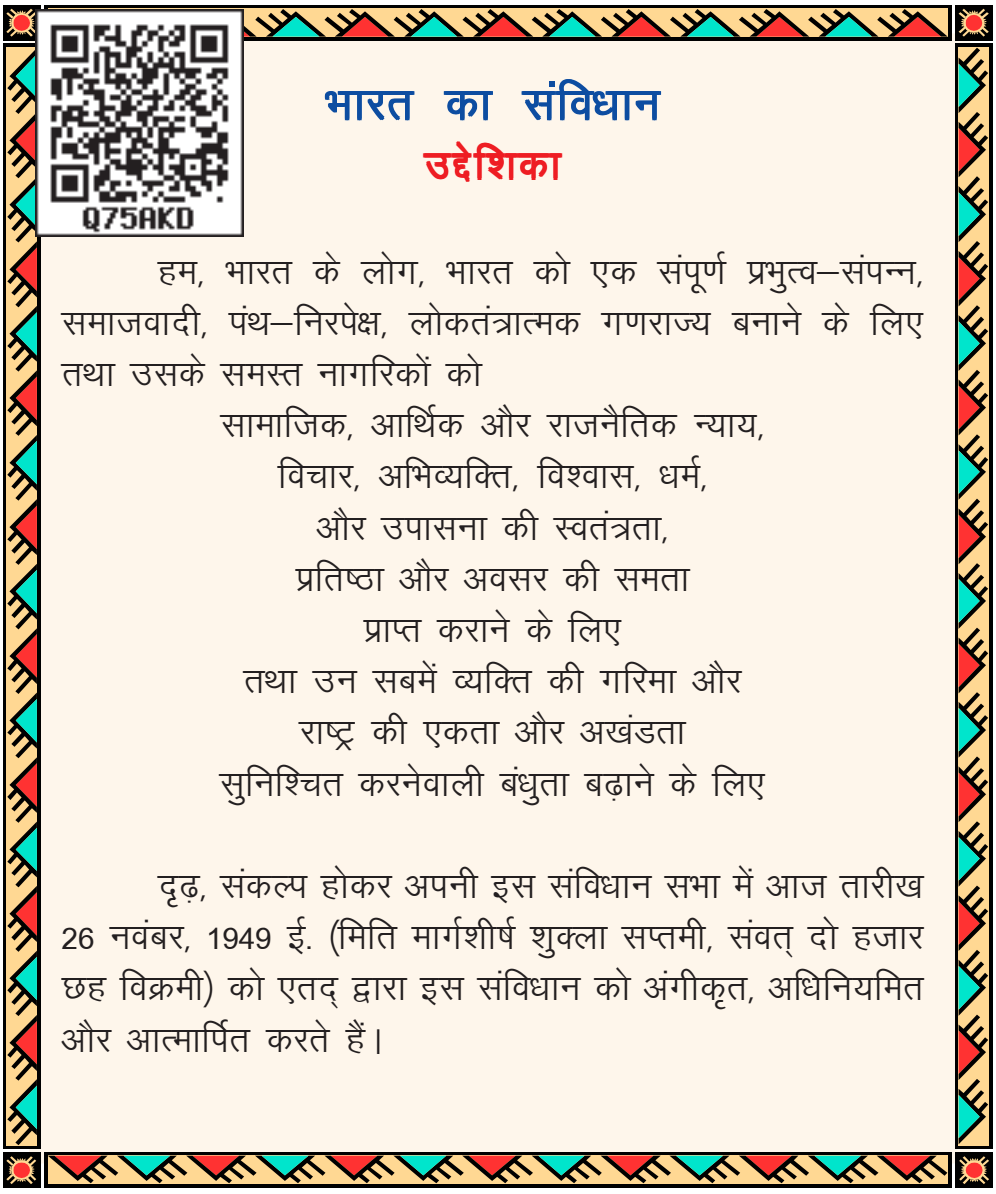

Q75AKD

भारत का संविधान

उद्देशिका

हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न, समाजवादी, पंथ–निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म,
और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए
तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखंडता
सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़, संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, 1949 ई. (मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

1. संविधान की उद्देशिका को पढ़िए और शिक्षक की सहायता से इसे समझने का प्रयास करिए।
2. चर्चा कीजिए कि क्या इसमें से कुछ बातें हमें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान देखने को मिलती है ?

संविधान की आवश्यकता क्यों ?

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि संविधान सभा ने शासन का स्वरूप जैसे– प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होना चाहिए एवं उन्हें कौन–कौन से कार्य

करने होंगे ? विधानसभा एवं संसद क्या कार्य करेंगे ? मंत्रियों का क्या काम होगा ? आदि निर्धारित किया।

इसके साथ–साथ आवश्यकता इस बात की थी कि शासन अपनी शक्तियों का गलत उपयोग न कर पाए। इसके लिए संविधान में यह व्यवस्था की गई कि शासन भी संविधान में लिखी बातों के अनुसार ही कार्य करेगा। यदि शासन के किसी कार्य से नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है।

कई साल पहले मुम्बई नगर निगम ने फुटपाथों पर रहनेवाले करीब 50 हजार लोगों को हटाने की व उनकी झुग्गियाँ नष्ट करने की कोशिश की। इस कार्यवाही के विरुद्ध बस्ती में रहने वाले लोगों ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया। उनके वकील ने दलील दी कि जब तक उनके रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें वहाँ से नहीं हटाया जा सकता। यह उनके किसी भी स्थान में रहने की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का हनन है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि झुग्गीवासियों के घरों को नष्ट करने से पहले उन्हें किसी और जगह पर बसाया जाए।

इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार न्यायालय ने सरकार की मनमानी पर अंकुश लगाया। इस प्रकार के नियम–कानूनों के कारण देश में निवास करने वाली विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और विचारधारा के लोगों का संविधान पर विश्वास बना हुआ है, क्योंकि उसमें समानता की बात कही गई है। हम सभी इन नियम–कानूनों का पालन करते हैं। इससे देश में शांति और एकता कायम रहती है। इस प्रकार संविधान से हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा मिलती है।

अभ्यास के प्रश्न

Q7E6M1

1. संविधान क्या है ? संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था?
2. संविधान की आवश्यकता किन परिस्थितियों में हुई ?
3. संविधान की उद्देशिका में दिए गए शब्द 'समता' को समझाइए।
4. भारत का संविधान सन् 1950 में 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया?
5. यदि संविधान नहीं होता तो क्या–क्या दिक्कतें होतीं ?
6. यदि समाज में कोई नियम या कानून न हो तो क्या होगा ?
7. राष्ट्रीय एकता को समझाइए।